



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

188

प्रक्रम 26
(नियम 4 के देखकर)



लखनऊ, २५३ सनातन, निवासि शोभा (निवासि शोभा, ४१८)
विद्यालय परिषद् उत्तर प्रदेश (सदन का नंग) के निवासि के दिए
रिटार्निंग आफिसर के समस्त अध्यार्थी द्वारा नाम-निर्णय पत्र के साथ
प्रक्रिया जारी वाला राज्य पत्र के साथ सेलगन

Arvind Kumar Pandey



Sworn and Verified
Before me

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No 31/64/2020

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



लखनऊ राज्य सरकार

.....निर्वाचन क्षेत्र संख्या १४ (कानून)

विधान परिषद् उत्तर प्रदेश

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटिङ आधिकार द्वारा अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देश पत्र का साथ प्रस्तुत किया जाने वाला भापथ पत्र

भाग-क

मैं, अवनिश कुमार पांडेय *पुत्र/पुत्री/पत्नी नरेश पांडेय आयु ४१ वर्ष, जो अवनिश कुमार पांडेय, १५ बहुसंज सीमापुर (डाक का स्थान पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्यनिश्चित से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, भापथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं निर्दलीय (*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 146-सीमापुर (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम). में भाग संख्या २४५ के कम संख्या ४४९ पर प्रविश्ट है।

(3) मेरा/मेरे 6387053146 संपर्क दूरभाश संख्या/संख्याएं है/हैं और aravishkumar.pandey44@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सो तल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

Sworn and Verified
Before me

(i) मैंने इसे पढ़ा

(ii) मैंने इसे पढ़ा

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Aravish Kumar Pandey

(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारूपिति :

क्रम सं.	नाम	पीएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्ता कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	CVJPPG356C	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं
2.	पति/पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं
3	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अस्थर्थी कर्ता या सहदायिक हैं)	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं
4	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं
5.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं
6.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) लागू नहीं (ii) लागू नहीं (iii) लागू नहीं (iv) लागू नहीं (v) लागू नहीं

Sworn and Verified
Before

टिप्पणी: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दावा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

R.C.

Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/642/00

Parishkaran Pandey

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोशणा करता / करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: **लागू नहीं**

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों के बौरे दें)

सारणी

(क)	संबंध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या	लागू है	लागू नहीं	लागू-है
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	लागू-है	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित संबंध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू-है
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू-है	लागू नहीं	लागू-है
(ङ.)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू-है	लागू नहीं	लागू-है
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसको आरोप विरचित किए गए थे।	लागू-है	लागू-है	लागू-है
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू-है	लागू-है	लागू-है

Swear and affirm
Before me

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2013

(6) दोशसिधि के मामले,—

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोशसिधि नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी के दोशसिधि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोशसिधि किया गया है: **लागू-है**

(यदि अभ्यर्थी के दोशसिधि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें) **लागू-है**

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू-है	लागू नहीं	लागू-है
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू-है	लागू नहीं	लागू-है
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोशसिधि किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ.)	दोशसिधि के आदें की तारीखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	अधिरोपित दंड	लागू-है	लागू-नहीं	लागू-नहीं
(छ.)	क्या दोशसिधि के आदें 1 के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हाँ या नहीं का झटकेख करें)	लागू-है	लागू नहीं	लागू नहीं
(झ.)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू-है	लागू-है	लागू-है
(झ.)	मैंने ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोशसिधि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दें दी है।	लागू-है	लागू-है	लागू-है

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविश्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]

Sworn टिप्पणी: Verified
Before me:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविश्ट किए जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।

R.C. VERIFIED
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Fees. No. 37/64/2000

11/11/1984

Prakash Karkhanis
Anil Karkhanis

3. व्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक भीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनायें देने का उत्तरदायी होगा।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शि ति करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दि गा में क्रम संख्या रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और भाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/ डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चान्दू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की द गा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – “आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (हैं), जिसके आयु के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दे जाए हैं।

टिप्पण 6 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टनीकरण: इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए “अपतट आस्तियों” पद से विदे गी बैंकों और किसी अन्य विदे गी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदे गों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं:

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ से नकदी	25000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	216340/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/ डिवेंचरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और एकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

R.C. VERMA

Adv. & NOTARY
LUCKNOW U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Anand Kumar Jaiswal

(iv)	राश्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	LJC परिवहन मूल्य संलग्न	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही
(ix)	सकल कुल मूल्य	५५१३५% लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपर्युक्त रूप से हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 – ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या जनरल इंजेंयरिंग लिमिलित होना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवक्त कुटुंब	आधित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं) स्वार्जित संपत्ति की दाग में क्य की तारीख क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दाग में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शू-य शू-य लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही लाभ-ही
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शू-य शू-य लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	लाभ-ही लाभ-ही	

	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) —अवस्थिति (अवस्थितिया) —सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) —अवस्थिति (अवस्थितिया) —सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में मिली हुई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान मूल्य	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वांकित (i) से (v) का कुल वर्तमान	शुभ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

R.C.
Adv.
Lucky
Rao

Sw.
Bef.

R.C. VERMA
Adv. & Notary
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

11/11/2010

Dwarka Kumar Pandey

लागू नहीं बाजार मूल्य

श्रृंग प्रतिक्रिया लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राटि के ब्यौरे नीचे देता हूं :-
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यशिटक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुदुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय राटि । बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	श्रृंग प्रतिक्रिया लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यशिटकों, निकाय को ऋण या देय राटि । नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	श्रृंग प्रतिक्रिया लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देयता	श्रृंग प्रतिक्रिया लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	देयताओं का सकल योग	श्रृंग प्रतिक्रिया लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी भौद्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को भौद्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निवाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है?					
		ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:-					
		(i) सरकारी आवास का पता:- लागू नहीं					
		(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई भौद्य संदेय नहीं है:-					
		(क) भाटक ; लागू नहीं					
		(ख) विद्युत प्रभार ; लागू नहीं					
		(ग) जल प्रभार ; और लागू नहीं					
		(घ) लागू नहीं (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निवाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके प चात् की कोई तारीख होनी चाहिए]					
		टिप्पण-उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत					



R.C. VERMA
Adv. & Notary
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 3154/2000

टिप्पण-उपरोक्त सरकार आवास के लिए भाटक, विद्युत

Brinjal branch branch

लाइ नहीं	लाइ-है	प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					लाइ-है	
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को भोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लाइ-है	लाइ- नहीं	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
(iv)	आयकर भोध्य	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
लाइ-है	लाइ-है	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवक्त कुटुंब	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३	
(v)	जीएसटी भोध्य	शू-प	लाइ- है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति पर भोध्य	शू-प	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
(vii)	कोई अन्य भोध्य	शू-प	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
(viii)	सभी सरकारी भोध्य का कुल योग	शू-प	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है	लाइ-है
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्रधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।"-	शू-प	लाइ- है	लाइ- है	लाइ- है	लाइ- है	लाइ- है	लाइ- है

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं नहीं

(ख) पति या पत्नी लाइ-है

(9क) आय के स्रोतों के बारे :

(क) स्वयं नहीं

(ख) पति या पत्नी लाइ-है

(ग) आश्रित के आय के स्रोत, यदि कोई हों लाइ-है

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए-

Sworn and Verified
Before me
(क) अन्यथा द्वारा की गई संविदाओं के बारे लाइ-है

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के बारे लाइ-है

(ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... लाइन ही

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे..... लाइन ही

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है..... लाइन ही

(च) प्राइवेट कंपनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है..... लाइन ही

(10) नरी शौक्षिक अर्हता नीचे देए अनुसार है:-

M.A सम. ए. विद्यालय, उत्तर प्रदेश विभाग कड़ा मुख्यालय/विद्यालय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम वर्ष 2012 विद्यालय/वि विद्यालय फ़िक्स के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/वि विद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) में तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कृ. अनन्दीश उमार पाठ्य		
2	डाक का पूरा पता	अनन्दीश उमार पाठ्य, 110 वर्सांज सीनापुर		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	146 सीनापुर, उत्तर प्रदेश		
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय		
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	शून्य		
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोशसिद्ध ठहराया गया है।	शून्य		
7.		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्दि ति आय
	(क) अभ्यर्थी	CV JPP63566	लाइन ही	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	लाइन ही	लाइन ही	लाइन ही
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब	लाइन ही	लाइन ही	लाइन ही
	(घ) आश्रित	लाइन ही	लाइन ही	लाइन ही

GOVT. OF UTTAR
PRADESH
LAW &
REGISTRATION
DEPARTMENT
S. No. 100
S. No. 100
Before me
on the 11th day
of August, 2012
at Lucknow
in the State of
Uttar Pradesh
India
At the office of
the Registrar
of the
Law & Registration
Department
Lucknow
Date: 11/08/2012
Place: Lucknow
Signature: Aravish Kumar Pandey

8.	आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में ब्यौरे	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
लागू है	विवरण						
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	५५१३०/-	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
ख	स्थावर आस्तियां	२५८	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
नियम लागू है	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
नियम लागू नहीं	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
नियम लागू नहीं	निम्नलिखित का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य— (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
देगताएँ		शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
सरकारी देय राशि (कुल)	i	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
सरकारी देय राशि (कुल)	ii	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
ऐसे देयताएँ जो विवादाधीन हैं		शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
सरकारी देय राशि (कुल)	i	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
सरकारी देय राशि (कुल)	ii	शुभ	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी	लागू पत्नी
उच्चतम भौक्षणिक अर्हता: २५२२ श्याश्वर, ३४२५२६ रजापुर, २५२७ मुन्ना निवास (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/वि विद्यालय/महाविद्यालय/वि विद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)	११						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस भापथपत्र की विशय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और वि वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोशसिद्धि का मामला या

Sworn and Verified: मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

Before me (ख) मेरे पति/श्री पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की

मिंद ८, ९ और १० में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

R.C. आज साथीखा NOV 2020 को सत्यापित किया गया।

Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No 31/64/2000

गया।

Arunish Kumar Sandey
अभिसाक्षी

-
- टिप्पणि:1 भापथपत्र नाम—निर्देश पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपराह्न 3:00 बजे तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
- टिप्पणि:2 भापथपत्र पर किसी भापथ कमि नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष भापथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणि:3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, यथास्थिति " नून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणि:4 भापथपत्र या तो टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ—साफ लिखा होना चाहिए।
- टिप्पणि:5 भापथपत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भापथपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या भापथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष भापथपत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।
(विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. एच—11019/04/2018—विधि—II दिनांक 10.10.2018 और संख्या एच—11019/13/2016—विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)

Arunish Kumar Sandey